



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

दिनांक : 21/09/2022

क्रमांक/ 116 /2021/
प्रति,

Roll No. :-221438, 220564, 221730, 221665, 220653, 220434, 220017, 220178, 221750, 221815, 221814, 220438, 220223, 220802, 220835, 220650, 221149, 220832, 220813, 220378, 221103, 221182, 221323, 220542, 220682, 220530, 220688, 220011, 221343, 220247, 221660, 220035, 221196, 221420, 221164, 221166, 221118, 221667

विषय :- पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने बाबत।

आपके पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के सन्दर्भ में आपको शोध परामर्श आर.ए.सी. समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु दिनांक 01/10/2022 को समय प्रातः 11:00 AM बजे अर्हता के सभी मूल दस्तावेजों, शोध निर्देशक के सहमति पत्र, शोध प्रस्ताव एवं निर्धारित शुल्क की राशि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना है।

आपकी प्रवेश पात्रता निश्चित होते ही आपको एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। यदि आप निर्धारित तिथि को उपस्थित हो कर अपनी अर्हता पूरी नहीं करते हैं या आप निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होते हैं अथवा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करते हैं तो आपका प्रवेश आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं प्रावीण्य सूची के प्रतिक्षारत छात्र को प्रवेश दिया जायेगा।

नोट :-

01. पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 2021 में चयनित समस्त छात्रों के साथ सभी UGC-NET with JRF, UGC-CSIR-NET with/Teacher Fellowship Holder or any other government/foreign research fellowship holder में चयनित अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
02. अभ्यर्थी को हायर सकेन्डरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, UGC/CSIR NET-JRF की अंकसूची, मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण-पत्र, शारीरिक अयोग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आदि के सम्बन्ध में मूल दस्तावेजों के साथ उनकी एक प्रमाणित छायाप्रति भी लानी है। प्रवेश हेतु म.प्र. आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा राज्य आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही प्राप्त होगा।
03. प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना अनुसार अन्य शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर प्रसारित किये गये शुल्क देय करने होंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व निर्धारित पात्रता शुल्क जमा कर, कुलसचिव अकादमिक विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, से निर्धारित पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
04. विभागीय शोध साक्षात्कार समिति शोध अभिरुचि/शोध क्षेत्र एवं प्रस्तावित शोध विषय पर अभ्यर्थी से चर्चा करेगी। समिति अभ्यर्थी की शोध संभावनाओं का भी परीक्षण करेगी। अभ्यर्थी को इस संबंध में यथोचित तैयारी कर एवं उपयुक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

निरंतर 02

05. मध्यप्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार स्थान आरक्षित रहेंगे। साक्षात्कार के समय चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व विभागाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित राज्यों एवं स्थानीय नगरों के माध्यम से पुलिस सत्यापन करना अनिवार्य है। स्थान रिक्त रहने पर मध्यप्रदेश के अभ्यर्थियों को आवंटित किया जायेगा।
06. विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित तिथि से कोर्सवर्क प्रारंभ होगा। कोर्सवर्क हेतु आर ए सी द्वारा अनुसूचित शोध निर्देशक एवं शोध क्षेत्र आवंटित किये जावेंगे।
07. कोर्सवर्क पाठ्यक्रम पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम होगा। अतः शासकीय/अशासकीय सेवारत अभ्यर्थी सभ्य अधिकारी से कोर्सवर्क पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जय अवकाश स्वीकृति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
08. अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र है, इससे सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
09. The candidates already completed the course work with at least 55% of marks in M.Phil and admitted to the Ph.D. programme shall be exempted from the Ph.D. course work and its fee.


विभागाध्यक्ष
विभागाध्यक्ष

विधि अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय, राजौर